2022/289

फर्द अहकाम

भूरालाल बनाम छगनलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 165/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/11/22	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य [illegible] के कारण कार्य नहीं [illegible]। पत्रावली दिनांक 18/11/22 को पेश हो।
	18/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली वास्ते आदेश/बहस T.I दिनांक 02/12/22 को पेश हो। [signature]
	02/12/2022	पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभय-पक्षकारान हाजिर। प्रार्थना-पत्र अंतरिम निषेधाज्ञा पर बहस गत तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं। विवादित आराजीयत का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ऐसे में यदि किसी सहखातेदार द्वारा विशिष्ट भू-भाग का बेचान होता है अथवा विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण कार्य किया जाता है तो सभी सहखातेदारों को अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना है। अतः प्रार्थना-पत्र को आंशिक रूप से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर यह आदेशित किया जाता है [signature]

फर्द अहकाम

धूलाल बनाम छगनलाल

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 165/22

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	कि प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के चरण संख्या 02 में उल्लेखित भूमि वादग्रस्त खसरा नं: 113, 135, 138, 144, 145, 71, 73 कुल किता 07 रकबा 3.9579 हैक्टेयर स्थित ग्राम धौली, पटवार हल्का माधोगढ़, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तूंगा, तहसील तूंगा, जिला जयपुर पर ताफैसला वाद उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि दावा दायरी/प्रस्तुतिकरण के समय/तारीख को विवादित भूमि पर जिस प्रकार काबिज थे, उसी के अनुसार काश्त (कृषि-कार्य) के अतिरिक्त अन्य कोई मौका-परिवर्तन नहीं करेंगें। उभयपक्षकारान के अधिकार व हक मूलवाद में विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत साक्ष्यों की गुणवत्ता के आधार पर तय किये जायेंगें। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	